रजिस्टर्ड न0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 जनवरी, 2004/4 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 17 जनवरी, 2004

संख्या एस0 एम0 एस0 8/2003-आर0 डी0 डी.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अन्तर्गत एक सहायक योजना 'ग्राम उत्थान योजना' को तत्काल प्रभाव से चलाने हेतु सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। योजना निम्न प्रकार से है :—

ग्राम उत्थान योजना

(क) **योजना का उद्देश्य.**—सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अन्तर्गत पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। उपलब्ध अनाज का उपयोग करने तथा भारत सरकार से अनाज के रूप में अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण ग्रामीण

रोज़गार योजना की एक सहायक योजना ग्राम उत्थान योजना के नाम से चलाना प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी या लाभार्थियों के समूह को अनाज के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी । ग्रामीण विकास विभाग इस योजना को कार्यन्वित करने का नोडल विभाग होगा । योजना का कार्यन्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा । योजना के अन्तर्गत सीधे तौर पर आर्थिक सम्पत्ति का सृजन करना, जिसका उद्देश्य जल-संरक्षण, भू तथा नमी-क्षेत्र में सुधार, कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना तथा अन्य सामूदायिक सम्पत्ति का निर्माण करना जैसे :—स्कूल भवन, सामूदायिक केन्द्रों, पंचायत घरों इत्यादि ।

(ख) **कार्य जो लिए जा सकते हैं**.—योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा निम्न गति-विधियां/कार्य करवाए जा सकते हैं । कार्य/गतिविधियां मांग पर आधारित होंगे :—

श्रेणी-(क) **(व्यक्तिगत लाभार्थी)** :-

1. जल संग्रहण ढांचे जैसे (i) छत्त के जल की संग्रहण की संरचना, (ii) जल-संग्रहण: कुएं/तालाब-(iii) खातियां तथा अन्य जल संग्रहण योजना ।

2. कृषि भूमि/रिहायशी मकानों की सुरक्षा हेतु प्रति धारक दीवार का निर्माण ।

3. सिचाई टेंक/कुहल/चैनल/नालाबन्द/रोकबांध का निर्माण जिसमें सीमेंट, बजरी का प्रयोग किया जाना हो ।

4. पत्थर/ईंट की दीवार, चरागाह विकास गतिविधियां ।

5. पेयजल स्त्रोत जैसे:—कुएं/बावडियों का निर्माण ।

6. व्यक्तिगत शौचालय, नालियों में पत्थर, सीमेंट/बजरी का प्रयोग ।

(ख) **(लाभार्थियों का समूह, उपभोक्ता समूह/ग्राम पंचायत)** :

(1) जल संग्रहण ढांचे जैसे, (i) छत्त के जल की संग्रहण के ढांचे, (ii) कुओं/तालाबों तथा अन्य पेयजल स्त्रोतों का निर्माण, (iii) सिचाई टेंक/कुहल/चैनलज़/नालाबन्द/रोकबन्ध का निर्माण, (iv) पत्थर/ईंट की दीवार, वन/चरागाह विकास, (v) ग्रामीण गलियों, रास्तों तथा नालियों की व्यवस्था में सुधार, (vi) ग्रामीण सड़कें/पुलियों/पैदल चलने योग्य पुलों का निर्माण, (vii) पेयजलयोजनाओं/स्त्रोतों का निर्माण, (viii) स्कूल भवनों/स्वास्थ्य उप-केन्द्रों/औषद्यालयों/पशु औषधालयों/सामूदायिक केन्द्रों/जंज घरों तथा अन्य लोकहित भवनों का निर्माण/सामूदायिक वानिकी तथा सामूदायिक शौचालयों का विकास ।

(ग) **लाभार्थी अंशदान तथा अनाज के मूल्यरूप में सहायता का आक्कलन**.—इन कार्यों हेतु व्यक्तिगत लाभार्थि/लाभार्थियों का समूह श्रम लागत को नकदी के रूप में तथा अपने स्त्रोतों से प्रयोग की गई सामग्री की पूर्ण लागत वहन करेगा । एक कार्य दिवस के बदले में पांच किलो अनाज का वितरण मस्ट्रौल अनुसार किया जाएगा ।

(घ) **कौन भाग ले सकता है**.—ग्रामीण या तो व्यक्तिगत या समूह में इस योजना में भाग ले सकते हैं । 25000/- रु0 के अनुमानित लागत के कार्य हेतु लाभार्थी को निम्नतम प्रार्थना शुल्क मु0 25/- रु0 के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन करना होगा । प्रत्येक 5000/- रु0 के अतिरिक्त कार्य या इसके भाग हेतु 5/- रु0 अतिरिक्त शुल्क देना होगा । इस स्कीम के अन्तर्गत व्यक्ति या समूह के सदस्य को, जैसी भी स्थिति हो, ग्राम पंचायत को देय राशि को पात्रता ग्रहण करने हेतु अदा करना होगा (अर्थात् गृहकर, भू-राजस्व, अन्य शुल्क, दण्ड इत्यादि) ।

(ङ) **योजना के अन्तर्गत अनाज का वितरण.**—(1) खण्ड विकास अधिकारी अधिक अनाज की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुरूप, पंचायतवार अनाज का वितरण करेगा । पंचायतवार वितरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम पंचायत को कम से कम 50 क्विंटल अनाज प्रदान किया जाए । अधिक मांग या निम्नतम निर्धारित अनाज की पूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित जिलाधीश को वास्तविक मांग सूचित करेंगे तथा जिसकी प्रस्तावना जिलाधीश भारत सरकार से अतिरिक्त अनाज प्राप्त करने हेतु प्रस्तावना राज्य सरकार को भेजेंगे । ग्राम पंचायत को अनाज का वास्तविक हस्तान्तरण लाभार्थी/ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य के आधार पर किया जाएगा ।

(2) ग्राम पंचायतें सम्बन्धित लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगी । लाभार्थी आवेदन पत्र के साथ ड्राफ्टसमैन/इन्जीनियरिंग प्राप्त डिपलोमा-धारक जिनमें तकनीकी सहायक भी शामिल है द्वारा तैयार किये गये कार्य का प्राक्कलन भी प्रस्तुत करेंगे, लाभार्थी से प्राक्कलन तैयार करने तथा कार्य के मूल्यांकन के रिकार्ड के रख-रखाव हेतु प्राक्कलन तैयार करने वाला व्यक्ति 1000/- रु0 की राशि के या इसके अधिक के भाग हेतु 10/- रु0 शुल्क प्राप्त कर सकता है ।

(3) ग्राम पंचायत सभी आवेदन पत्रों को ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी : ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम पंचायत लाभार्थी/अनाज/की कार्यवार मांग का विवरण के बारे खण्ड विकास अधिकारी को सूचित करेंगे ।

(4) सम्बन्धित ग्राम पंचायत नकद घटक के दृष्टिगत श्रमघटक की अनुमानित लागत के आधार पर गणना करके व तकनीकी कर्मियों द्वारा कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रचलित मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित करने उपरान्त अनाज का वितरण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(च) **ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया:–**

(1) योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत की देख-रेख में किया जाएगा ।

(2) ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक अनुमोदित कार्य की लागत अनुदान जिसके आधार पर खण्ड विकास अधिकारी से अनाज प्राप्त हुआ है, के अभिलेखों का रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(3) 50000/- रु0 की लागत के कार्य हेतु अनाज दो किश्तों में जारी किया जाएगा तथा 50000 रुपये से अधिक के लागत के कार्य हेतु अनाज 3 किश्तों में जारी किया जाएगा । अनाज के वितरण के साथ, खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को कूपन देंगे।

(4) प्राक्कलन लागत के आधार पर ग्राम पंचायत लाभार्थियों को लगाए गये मज़दूरों तथा अर्जित कार्य-दिवस की सूची, प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र जारी करेगी ।

(5) लाभार्थी लगाए गए मज़दूरों को अनाज प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र को भर कर पंचायत सचिव को प्रस्तुत करेंगे । इस प्रपत्र के साथ प्रधान/उप-प्रधान/पंच द्वारा कार्य की प्रगति रिपोर्ट भी संलग्न की जाएगी ।

(6) पंचायत सचिव अनाज वितरण हेतु लाभार्थियों को प्रत्येक लगाए गये मज़दूरों के बदले में कूपन जारी करेंगे जिसकी एक प्रति उचित मुल्य की दूकान को भेजी जाएगी तथा कूपन की एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाएगी ।

(7) दूसरी या उसके बाद की किश्त को जारी करने के मामले में प्रधान/उप-प्रधान/पंच की रिपोर्ट के अतिरिक्त तकनीकी सहायक से प्राप्त कार्य के मूल्यांकन का प्रमाण पत्र भी प्रपत्र के साथ संलग्न करेगा ।

(8) ग्राम पंचायत निर्धारित प्रपत्र पर मासिक प्रगति रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी को भेजेगी ।

(छ) **पर्याप्त देख-रेख एवं पारदर्शिता.**–(1) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा अन्य प्रसिद्ध स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) कार्य आरम्भ करने में पूर्व ली गई फोटोग्राफ को प्राक्कलन के साथ रखा जाएगा । दूसरी किश्त जारी करने से पूर्व जब कार्य प्रगति पर हो उस समय भी फोटो ली जाएगी तथा अन्तिम फोटोग्राफ कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ली जाएगी ।

(ज) **विवादों का निपटारा.**–ग्राम पंचायत तथा लाभार्थी के मध्य कार्य के निष्पादन में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (ग्रा0 वि0) ।

ग्राम उत्थान योजना के अन्तर्गत अनाज प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

खण्ड का नाम..... ग्राम पंचायत का नाम .....

(अ) **लाभार्थी/लाभार्थियों का नाम व पता**.....

1.
2.
3.
4.
5.

(ब)

कार्यों का विवरण (स्थान व स्थल का नाम)	कुल अनुमानित प्राकलन लागत	मजदूरी घटक
1	2	3
	(अ) अनाज (मूल्य के रूप में)	
	प्राक्कलन लागत के रूप में	

1	2	3
		(ब) राशि, जिसके खर्च होने के उपरान्त मूल्यांकन आवश्यक है (50000 रुपयों तक के कार्यों के लिए 50 प्रतिशत अनाज घटक की निर्मुक्ति और 30 प्रतिशत अनाज घटक इससे उपर की राशि के लिए) ।
		(स) इस मस्टौल सहित कुल राशि जो अनाज के रूप में निर्मुक्त की गई ।

(स) कार्यवाहक मजदूरों की सूचना और अर्जित कार्यदिवस :

मजदूर का नाम अ0 जा0/ज0 जा0/महिलाएं/ अन्य मास ..... जिन दिनों के लिए मजदूर नियुक्त किये गये हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	कुल

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य और सही है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जो उपरोक्त अंकित कार्य दिवस किये गये हैं वास्तव में सृजित किये गये हैं । इसलिए अनाज.....कार्य-दिवसों के लिए अधोहस्ताक्षरी को निर्मुक्त किया जाए ।

लाभार्थी/समूह के हस्ताक्षर दिनांक.....

ग्राम उत्थान योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु प्रपत्र

1. खण्ड का नाम.....

2. ग्राम पंचायत का नाम.....

3. वर्ष ..... मास.....

4. गतवर्ष का अनु- गेहुं (कि0ग्रा0).....चावल (कि0ग्रा0)..... कुल (कि0 ग्रा0)..... उपयोगित अनाज ।

5. वर्ष के दौरान गेहुं (कि0 ग्रा0)..... चावल (कि0 ग्रा0)..... कुल (कि0 ग्रा0)..... निर्मुक्त अनाज ।

6. अनाज की कुल उपलब्धता । गेहुं (कि0ग्रा0) ..... चावल (कि0ग्रा0) ..... कुल (कि0 ग्रा0) .....

7. मास तक कुल उप- योगित अनाज । गेहुं (कि0 ग्रा0)..... चावल (कि0ग्रा0)..... कुल (कि0 ग्रा0) .....

8. मास तक अर्जित कार्यदिवस :

(अ) कुल .....
(ब) अ0 जा0 .....
(स) अ0 ज0 जा0.....
(द) महिलाएं .....
(य) अन्य .....

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के हस्ताक्षर..... प्रति हस्ताक्षरित

ग्राम पंचायत .....

दिनांक.....

प्रधान.....

ग्राम पंचायत.....

दिनांक .....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January 2004

No. SMS-8/2003-RDD.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to launch "Gram Utthan Yojana" a subsidiary scheme under Sampoorna Grameen Rozgar Yojana with immediate effect. The scheme is as under:—

"GRAM-UTTHAN YOJNA"

(A) Objective of the Scheme.—Sufficient foodgrains are available under Sampooran Gramin Rozgar Yojna (SGRY). With a view to utilise the available foodgrains and to avail off additional assistance in the shape of foodgrains from Government of India under the S.G.R.Y. scheme, it is proposed to launch a subsidiary scheme of S.G.R.Y. known as "Gram Utthan Yojna". Under this scheme the assistance will be provided to the individual or group of beneficiaries in the form of foodgrains. The Rural Development Department will be the nodal department to implement the scheme. The scheme will be implemented through Gram Panchayats. The scheme envisages creation of directly productive economic assets aiming at water conservation, improving soil & moisture regime, increase in agriculture/horticulture productivity and creation of other community assets like school buildings, community centres, panchayat ghars etc.

(B) Works that can be taken up.—Following activities can be taken up under the scheme by the different categories of beneficiaries as indicated below. The activities would be demand driven.

Category-A (Individual Beneficiary) :

1. Water harvesting Structures like(*i*) roof water harvesting structure, (*ii*) Water storage tank/pond, (*iii*) Khatries and other water storage structures.
2. Construction of retaining walls for protection of agriculture fields/dwellings
3. Construction of irrigation Tank/kuhal/channels/Nallah Bunds/Check dams using stone/cement concrete.
4. Stone/brick fencing, Pasutre Development activities
5. Construction of drinking water sources like wells/bowlies
6. Individual Toilets, drains using stone/cement concrete

Category-B (Group of Beneficiary/User Group/Gram Panchayat) :

1. Water harvesting Structures like, (*i*) roof water harvesting structures, (*ii*) Water storage tanks/ponds, (*iii*) Khatries and other water storage structures.

2. Construction/desiltation of Ponds/wells and other drinking weter sources

3. Construction of irrigation Tank/Kuhals/Channels/Nallah bunds/check dams

4. Stone/brick fercing. Afforestation/Pasture Development

5. Improvement of village streets/paths and drainage system

6. Construction of rural roads/culverts/foot bridges

7. Construction of drinking water schemes/sources

8. Construction of school buildings, Health Sub-Centres/Dispensaries/Veterinary Centres, community centres/Junj Ghars & other public utility buildings Development of community forestry and Community Latrines.

(C) Beneficiary Contribution and assistance measured in the value of foodgrains.—For these works the individual beneficiary or group of beneficiaries will bear the cash component of the labour cost and full cost of any material used from their own sources. The foodgrains benefit conferred will be restricted to 5 Kg. per manday of labour to be disbursed on the basis of muster rolls.

(D) Who can Participate.—Villagers either individually or in groups can participate in the Scheme. For the works the beneficiary has to apply to the Gram Panchayat with a minimum application fee of Rs. 25/- for a work with estimated cost of upto Rs. 25000/-. For every additional Rs. 5000/- or part thereof, the fee will be an additional Rs. 5/-. The individual or group members as the case may be will have to clear the dues payable to Panchayat to be eligible for the scheme (*e. g.* house tax, land revenue, any other fees, penalties etc.).

(E) Allocation of foodgrains for the scheme.—1. Based on the availability of excess foodgrains, the B D O will make Panchyat-wise allocation on the basis of the population of the concerned Panchayat. While making the Panchyat-wise allocation, it will be ensured that each Gram Panchayat gets an allocation of at least 50 Qtls. foodgrains, in case more foodgrains are required to ensure this minimum or to cater to a greater demand, the B. D. O. will intimate the requirements to the concerned Deputy Commissioner who in turn will send proposal to the State Government for seeking additional foodgrains from Government of India Actual transfer of allocation to Gram Panchayat will be based on the beneficiary/work wise approval by Gram Sabhas.

2. The Gram Panchayat will call applications from the prospective beneficiaries. The beneficiaries will submit the application to the Gram Panchayat alongwith estimate of work prepared by any person holding a Draughtsman or Engineering diploma including Takniki Sahayak (the person preparing the estimate can receive a fee of Rs. 10/-per Rs. 1000/- amount or part thereof for this work from the beneficiary for estimate preparation and maintaining a measurement record of the work).

3. The Gram Panchayat will put up all applications for approval by the Gram Sabha. On obtaining approval of Gram Sabha. the Gram Panchayat will intimate the B. D. O. about the beneficiary/work-wise details of requirement of foodgrains.

4. B.D.O. will allocate the foodgrains component calculated on the basis of labour component of cost estimate keeping apart the cash component to the concerned Gram Panchayat after ensuring that technical sanction for works is accorded by the technical authorities as per prevailing delegations.

(F) Procedure for implementing the scheme at Gram Panchayat Level.—1. The schome will be implemnted under the overall supervision of the concerned Gram Panchayat.

2. The cost estimates of each work approved by the Gram Sabha on the basis of which the foodgrains allocation has been received from the B, D. Os. will be kept in its records by the concerned Gram Panchayat.

3. The foodgrains for the works costing up to Rs. 50000/-will be released in two instalments and for work costing more than Rs. 50000/- in three instalments (The B.D.O. will issue coupons to the concerned Gram Panchayat alongwith the allocation of foodgrains).

4. On the basis of the cost estimates, the Gram Panchayat will issue the specified format to the beneficiaries to secure details of labour engaged and mandays generated.

5. The beneficiaries will submit the format duly filled in for release of foodgrains to the labour engaged to the Panchayat Secretary. It will be accompained by a report from Pradhan/ Up-Pradhan/Ward Member attesting to satisfactory progress of wrok.

6. The Panchayat Secretary will release foodrains by issue of coupons to the beneficiaries against each labourer engaged with a copy to the fair price shop by retaining a copy of coupons issued at Gram Panchayat level.

7. In case of release of second or subsequent instalment, in addition to report of Pradhan/ Up-Pradhan/Ward Member, a certification of value of work done from the Takniki Sahayak will accompany he format.

8. The Gram Panchayat will submit the monthly progress report to the B.D.O. on the prescribed format.

(G)Adequate Supervision/Transparency.—(*a*) Details of all works taken up under the Scheme in a Panchayat will be put up on the notice board of the Gram Panchayat and other prominent places.

(*b*) A photograph will be taken and kept with the estimate before start of work. Another photograph will be taken of work in progress before release of 2nd instalment and finally one on completion of work.

(H) Resolving of Disputes.—In case of any dispute regarding execution of work between the Gram Panchayat and the beneficiary, the Block Development Officer will be the authority to resolve the dispute.

By order,

Sd/-
Secretary (RD).

FORMAT FOR CLAMING FOODGRAINS UNDER GRAM UTTHAN YOJNA

Name of the block.....Name of the Gram Panchayat.....

(A) **Name and address of beneficiary/beneficiaries :**

1.
2.
3.
4.
5.

(B)

Details of works Name of site/location)	Total approved estimate cost	Wage-component
		(*a*) Foodgrains (in the form of value) in the cost estimate.
		(*b*) Amount after which inspection required (after 50% release of foodgrains component for works with estimate upto 50,000/- and 33% for works with higherestimate).
		(*c*) Total amount released as food grains not including this muster roll.

(C) Work-wise details of labourers engaged and mandays generated :

Name of labou-rers	Category SC/ST/ women/ others	Month.....days for which labour engaged														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Name of labour-rers	Category SC/ST/ women/ others	Month.....days for which labour engaged.															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 Total

Certified that above details are true and correct. It is also certified that the number of mandays as recorded above are actually generated. Hence the foodgrains for..... .....mandays may be released in favour of undersigned.

Signature of beneficiary/Group Date.....

Passed by : Panchayat Secretary.....Gram Panchayat.....*Date*.....

FORMAT FOR SUBMISSION OF MONTHLY PROGRESS REPORT UNDER GRAM UTTHAN YOJANA BY THE GRAM PANCHAYAT TO BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

1. Name of Block.....

2. Name of Gram Panchayat.....

3. Year.....Month.....

4. Unutilised foodgrains of the last year : Wheat (Kg.).....Rice(Kg.).....Total(Kg.).....

5. Foodgrains released during the year : Wheat (Kg.).....Rice(Kg.).....Total(Kg.).....

6. Total abailability of foodgrains (4+5) : Wheat(Kg.).....Rice (Kg.).....Total(Kg.).....

7. Foodgrains utilised upto the month : Wheat(Kg.).....Rice(Kg.).....Total (Kg.).....

8. Mandays generated upto the month :

(*a*) Total.....

(*b*) SC.....

(*c*) ST.....

(*d*) Women....

(*e*) Others.....

Signature of GPVA.....

Gram Panchayat.....

Date.....

Countersigned by

Pradhan.....

Gram Panchayat.....

Date.....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित